न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04 / 2022

प्रार्थीगण –

1. हरूराम पुत्र खुमाराम
   जाति मेघवाल निवासी गोलिया
   जेतमाल तहसील नोखडा जिला
   बाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच ग्राम पंचायत गोलिया
   जेतमाल
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम
   पंचायत गोलिया जेतमाल
   तहसील नोखडा जिला बाडमेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.12.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल पूनड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम प्रजापत , अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित एवं 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 150 से 152 के तहत ग्राम गोलिया जेतमाल में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 03 दिनांक 05.12.2019 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1132 वर्ग गज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 150 से 152 के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है, उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता का रहवासी मकान तथा पक्की दुकाने भी निर्मित की गई है। मकान तथा दुकानों में बिजली, पानी के कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से लिए हुए हैं। विप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल (सामुदायिक केन्द्र एस.सी/एस.टी. बस्ती गोलिया जेतमाल हेतु आवंटन) का वादग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। फिर भी ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल ने बिना कोई जांच किए पुनरिक्षणाधीन पट्टा बिना किसी कब्जे के, जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें किसी प्रकार की विधिवत कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौका का भौतिक सत्यापन किये बिना ही आनन–फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कूटरचित रूप से आलौच्य पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्रा.पं. द्वारा नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में जो आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया उसे विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं कराया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का न तो कभी कब्जा रहा है

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

और न ही नीलामी की कोई प्रक्रिया ही की गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा खारिज फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल में खसरा नं. 243 में सामुदायिक केन्द्र एस.सी/एस.टी बस्ती गोलिया जेतमाल का भवन सन् 2007 में बना था जिसका पट्टा महात्मा गांधी शिविर में 2019 में जिला परिषद् बाडमेर के आदेश क्रमांक 671/21.11.2019 के अनुमोदन पश्चात् नियमानुसार सरकारी भवन का भूखण्ड आवंटन किया गया था। जो भवन के आगे डामर सड़क मेगवालों का तला जाती है, जिसकी मध्य रेखा से 50 फीट भूमि रोड़ परिधि की छोड़कर नियमानुसार भूखण्ड ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन पश्चात् जारी किया गया था। बाद में हरूराम द्वारा डामर सड़क के मध्य रेखा से 50 फीट छोड़ी हुई भूमि में दो दुकाने बना ली है तथा दुकानों के पीछे सभाभवन की भूमि है, जिसके चारो ओर चार दीवारी नहीं बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधता नहीं की गई है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने का आधार गलत मनगढत होने से प्रस्तुत निगरानी काबिल खारिज है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 150 से 152 के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है, उक्त भूमि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पर निगरानीकर्ता का रहवासी मकान तथा पक्की दुकाने भी निर्मित की गई है। मकान तथा दुकानों में बिजली, पानी के कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से लिए हुए हैं। विप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल (सामुदायिक केन्द्र एस.सी/एस.टी. बस्ती गोलिया जेतमाल हेतु आवंटन) का वादग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। फिर भी ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल ने बिना कोई जांच किए पुनरिक्षणाधीन पट्टा बिना किसी कब्जे के, जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें किसी प्रकार की विधिवत कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौका का भौतिक सत्यापन किये बिना ही आनन–फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कूटरचित रूप से आलौच्य पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्रा.पं. द्वारा नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में जो आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया उसे विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं कराया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का न तो कभी कब्जा रहा है और न ही नीलामी की कोई प्रकिया ही की गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल में खसरा नं. 243 में सामुदायिक केन्द्र एस. सी/एस.टी बस्ती गोलिया जेतमाल का भवन सन् 2007 में बना था जिसका पट्टा महात्मा गांधी शिविर में 2019 में जिला परिषद् बाडमेर के आदेश क्रमांक 671/21.11.2019 के अनुमोदन पश्चात् नियमानुसार सरकारी भवन का भूखण्ड आवंटन किया गया था। जो भवन के आगे डामर सड़क मेगवालों का तला जाती है, जिसकी मध्य रेखा से 50 फीट भूमि रोड़ परिधि की छोड़कर नियमानुसार भूखण्ड ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन पश्चात् जारी किया गया था। बाद में हरूराम द्वारा डामर सड़क के मध्य रेखा से 50 फीट छोड़ी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

हुई भूमि में दो दुकाने बना ली है तथा दुकानों के पीछे सभाभवन की भूमि है, जिसके चारो ओर चार दीवारी नहीं बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधता नहीं की गई है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने का आधार गलत मनगढत होने से प्रस्तुत निगरानी काबिल खारिज है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी, गोलिया जेतमाल द्वारा ग्राम गोलिया जेतमाल के आबादी खसरा नंबर 243 में राजकीय संस्था ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल के नाम भूखण्ड आवंटन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2019 को पेश किया। जिस पर प्रार्थी के भूखण्ड का रा.प.रा नियम 1996 के नियम 146(2) के अनुसार एक तीन पंचों की समिति गठित कर स्थल निरीक्षण करवाया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 10188 वर्गफीट अथवा 1132 वर्गगज होने से निःशुल्क आवंटन के लिए जिला परिषद की पूर्वानुमति के लिए भेजा गया तथा भूखण्ड आवंटन के संबंध में 15 दिवस का आपत्ति नोटिस कमांक 52 दिनांक 05.08.2019 भी जारी किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर द्वारा अपने आदेश कमांक जिपबा/मिटींग/2019/671 दिनांक 21.11.2019 में मिसल नंबर 37 सामुदायिक केंद्र एससी/एसटी बस्ती गोलिया जेतमाल आबादी भूमि खसरा नंबर 243 में से 1132 वर्गगज का निःशुल्क भूमि आवंटन की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार आलौच्य पट्टा सं. 06 दिनांक 05.12.2019 जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल के पक्ष में जारी किया गया हैं उसके लिये ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से पारित संकल्प द्वारा विधिसम्मत रूप से प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता हैं। उक्त पट्टा विलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त पट्टा विलेखों के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।
7. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चौहान)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर